न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली

पीठासीन अधिकारीः सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना आई.ए.एस

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
रतनलाल पुत्र पनाराम जाति सीरवी निवासी लुणावा तहसील बाली		राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रकरण संख्या :- 2022/182

बाबत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

दिनॉक : 25-5-22

प्रार्थी द्वारा उपरोक्त प्रकरण पेश किया गया, जिसे दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नकल दी गई। अप्रार्थी की ओर से जवाब मय रिपोर्ट प्राप्त हुई।

प्रकरण के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम लुणावा के खसरा नंबर 818/1, 823, 824, 825/1, 826/1, 982 कुल खसरा 06 कुल रकबा 1.8500 हैक्टर भूमि में स्थित है। जिसके प्रमाण स्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 की प्रति प्रस्तुत की। जिसमें प्रार्थी का **त्रुटिपुर्ण नाम रताराम पुत्र पनाराम दर्ज हैं** तथा अतः रेकर्ड को दुरूस्त करते हुए प्रार्थी का **सही व वास्तविक नाम रतनलाल पुत्र पनाराम** करवाने का निवेदन किया।

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब मय पटवारी रिपोर्ट भूमिधारी की ओर से पेश किया एवं प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित त्रुटी को स्वीकार किया गया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व रिपोर्ट का अवलोकन किया। भूमिधारी के द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं पटवारी रिपोर्ट अनुसार प्रथम दृष्टया प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुसार राजस्व रेकार्ड जमाबंदी सम्वत 2076 से 2079 में दर्ज बतौर सह खातेदार प्रार्थी का **त्रुटिपुर्ण नाम रताराम पुत्र पनाराम दर्ज** हैं, जबकि प्रार्थी का **सही व वास्तविक नाम रतनलाल पुत्र पनाराम** प्रस्तुत दस्तावेज यथा आधार कार्ड, बैंक पासबुक व राशन कार्ड की प्रतियों के अनुसार है। जिस तथ्य को अप्रार्थी तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, लुणावा ने अपनी जांच रिपोर्ट में स्वीकार करते हुये सही नाम दुरस्ती के माध्यम से दर्ज किये जाने की अनुशंषा की हैं।

अतः प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत स्वीकार किया जाता हैं तथा ग्राम लुणावा के खसरा नंबर 818/1, 823, 824, 825/1, 826/1, 982 कुल खसरा 06 कुल रकबा 1.8500 हैक्टर भूमि में दर्ज प्रार्थी का **त्रुटिपुर्ण नाम रताराम पुत्र पनाराम** को दुरूस्त करते हुए प्रार्थी का **सही व वास्तविक नाम रतनलाल पुत्र पनाराम** दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रेकर्ड में दर्ज शेष सभी इन्द्राज बदस्तुर कायम रखे जावे। आदेश प्रति तहसीलदार बाली व पटवारी हल्का लुणावा को पालनार्थ भिजवाई जावें।

पत्रावली फैसल शुमार हो. कर दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

न्यायालय उप... बाली, जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला बाली (राज.)

आदेश आज दिनॉक 25-5-22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला बाली (राज.)

Scanned with CamScanner